


47



न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म० १० ग्वालिअर ।

प्रकरण क्र० : III/नगरनीदतिया/भूअर/2017/4090

श्री राम लखक शर्मा एस०

द्वारा आज दि 1-11-17 का

प्रस्तुत

[Signature]
क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म० १० ग्वालिअर

न० पेश 854-17

1-11-17

[Signature]

श्रीकृष्ण गुगोरिया पुत्र श्री राधेश्याम

गुगोरिया, आयु 78 वर्ष, धंधा ब्यापार,

निबाती - स्टेशन रोड दीत्या म० १०।

बनाम - आवेदक

- 1- जिला मजिस्ट्रेट जिला दीत्या म० १०।
- 2- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रीजनल मैनेजर, कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई द्वारा १०० राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रत्नलाल अग्रवाल नि० - भटियारा मोहल्ला, बड़ा बाजार, दीत्या म० १०।

- अनावेदकगण

"नगरानी अन्तर्गत धारा 50 नये संशोधन अधिनियम 2011

म० १० भू-रा० सं० बिरुद्ध आदेशा दिनांक 07-03-2017 द्वारा

पारित जिला मजिस्ट्रेट दीत्या प्रकरण क्र० क्यू आर 19-5/१० व०

सन० ओ० सी/2017 के बिरुद्ध ।

श्रीमान् जी,


निवेदन निम्न प्रकार है :-

1- यह कि, सर्वे नं० 1065, 1065/2, 1066/1 स्थित ग्राम गोबिन्दपुर तहसील दीत्या का 1066/1 रकबा 1.09 हैक्टर है जिसका आवेदक भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है । जिसके पास से हाइवे सड़क मार्ग निकला हुआ है तथा हाइवे के किनारे उक्त भूमि स्थित है ।

2- यह कि, मैंने अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के सर्वे क्र० 1066/1 का सीमकिन आवेदन तहसीलदार दीत्या के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/दतिया/भूरा/2017/4090

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.11.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री राम सेवक शर्मा उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p> सदस्य</p>